प्रेषक

पी. एन. सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

निदेशक,
उद्यान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 05 जुलाई, 2010

कृषि अनुभाग–3

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत उद्यान विभाग की योजनाओं के लिए धनराशि रू0–253960 हजार की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक–भू.सं./141/रा.कृ.वि.यो. दिनांक 10.06.2010 के संदर्भ में व शासनादेश संख्या–950/12–3–2010–100(46)/2008, दिनांक 26.4.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उद्यान विभाग की प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू वेजीटेबिल क्राप्स थ्रो नर्सरी प्रोडक्शन इन लो टनल्स कार्यक्रम हेतु निम्न तालिका में अंकित मानक मदों के अनुसार कुल रू0–253960 हजार (रू0 पच्चीस करोड़ उन्तालिस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार रू0 में)

क.सं.	मानक मद	प्राविधान वर्ष 2010–11	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
	अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–06–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें		
1	27–सब्सिडी	300000	233960
2	42–अन्य व्यय	20000	20000
	योग	320000	253960

(रू0 पच्चीस करोड़ उन्तालिस लाख साठ हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3–उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित है।किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

5– योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/निदेशक, उद्यान द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाय।

6– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–06–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–1–410/दस–2010, दिनांक 02 जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(पी. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0–1424(1)/12–3–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4– संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5– अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6– निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7– प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8– कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10– वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11– नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
12– वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–1/कृषि अनुभाग–5/नियोजन अनुभाग–3
13– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 1078 /58–2010–109 / 2010

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2010

विषयः– **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए उद्यान विभाग की परियोजनाओं के लिए धनराशि रू0–2339.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–91–92 / 20(2) / आर0के0वी0वाई0 प्रशा0 स्वी0 / 2010–11 / दिनांक 14.7.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित उद्यान विभाग की परियोजना "प्रोडक्सन आफ हाई वैल्यू वेजिटेबल काप्स थ्रो नर्सरी इन लोटनल" कार्यक्रम हेतु रू0–2339.60 लाख (रूपये तेईस करोड़ उन्तालिस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1424 / 12–3–10–100(46) / 2008 दिनांक 05.7.2010 में निहित शर्तो एवं अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) उक्त कार्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्यस्तरीय स्वीकृति कमेटी (एस0एल0एस0सी0) द्वारा जिस रूप में, जिन कार्यो के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, उन्हीं के अनुरूप उन्हीं योजनाओं पर स्वीकृत धनराशि का व्यय, नियमानुसार कृषि अनुभाग–3 / भारत सरकार / कृषि निदेशक / नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार की जायेगी।

---2

(2) योजना का कियान्वयन कृषि अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–1424/12–3–10–100(46)/2008, दिनांक 05.7.2010 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजना का कियान्वयन वित्तीय नियमों एवं भण्डार कय नियमों के अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पूर्व, जहॉ आवश्यक होगा वहॉ पर शासन, कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, एवं सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी तथा जनपदीय अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सक्षम स्तर से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

(5) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृति धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का व्यय कृषि अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–1424/12–3–10–100(46)/2008, दिनांक 05.7.2010 में उल्लिखित अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–06–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनायें के अन्तर्गत मद सं0–27 सब्सिडी में की जायेगी।

(7) एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदन के विपरीत किसी अन्य कार्ययोजना/मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। भिन्न मद पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान एवं संबंधित जनपद के अधिकारी, सीधे उत्तरदायी होंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जो धनराशि उपयोग नहीं होगी उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग–3, एवं कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी को प्रत्येक माह के 5 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 2078 (1)/58–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
3– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग (कृषि अनुभाग–3), उत्तर प्रदेश शासन।
4– कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– मुख्य एवं वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0
2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक– 1101 /बजट/आयोजनागत/आर0के0वी0वाई0/2010–11 दिनांक 27 जुलाई, 2010.

समस्त जिला उद्यान अधिकारी/
अधीक्षक, राजकीय उद्यान/
आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ0 प्र0।
(संलग्नक में उल्लिखित)

विषयः–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में धनराशि रू0–2339.595 लाख के आवंटन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि कृषि अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–1424/12–3–10–100(46)/2008 दिनांक 05–07–2010 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उद्यान विभाग में प्रोडक्सन आफ हाई वैल्यू वेजीटेबिल क्राप्स थ्रो नर्सरी प्रोडक्सन इनलोटनल कार्यक्रम हेतु रू0–233960 हजार की वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश सं0–2078/58–2010–109/2010 दिनांक 22–7–2010 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में अनुदान सं0–11 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–06–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजना के अर्न्तगत मानक मद 27–सब्सिडी में रू0–2339.595 लाख का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार प्रदत्त किया जा रहा है। आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय निम्नानुसार शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही साथ अपने व्यय को आवंटित धनराशि की सीमा तक नियन्त्रित भी रखें। उपरोक्तानुसार किया जा रहा बजट का आवंटन, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ सं0–55 पर अंकित है।

1– उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1424/12–3–10–100(46)/2008 दिनांक 05–7–2010 में निहित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

2– उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी (एस0एल0एस0सी0) द्वारा जिस रूप में, जिन कार्यो के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, उन्हीं के अनुरूप उन्हीं योजनाओं पर व्यय किया जाये।

3– स्वीकृति धनराशि का व्यय करने के पूर्व जहाँ आवश्यक होगा वहाँ पर शासन, कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0 एवं सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाये तथा जनपदीय अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

4– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों एवं भण्डार क्रय नियमों के अर्न्तगत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5– योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृति धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

6– एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदन के विपरीत किसी अन्य कार्य योजना/मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित जनपदीय/आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

7– योजनान्तर्गत निदेशालय के पत्रांक–670/आर0के0वी0वाई0/मार्ग निर्देश दिनांक 21–7–2010 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

8– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जो धनराशि उपयोग नहीं होगी उसे शासन को यथा समय समर्पित किया जायेगा।

9– स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण विभाग के आर0के0वी0वाई0 अनुभाग एवं बजट अनुभाग को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रंजन मिश्र) 26/07/10
वित्त नियन्त्रक।

क्रमशः––2

RKVY

पृष्ठांकन सं0– 1101 /उक्त दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के निजी सचिव को प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ।
3– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग (कृषि अनुभाग–2) उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4– विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
5– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– कृषि निदेशक, आर0के0वी0वाई0, कृषि भवन, लखनऊ।
7– योजनाधिकारी, आर0के0वी0वाई0 उद्यान निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत (गाइड लाईन) दिशा–निर्देश जारी कर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार धनराशि का व्यय हो सके।
8– सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान, उ0 प्र0।

(रंजन मिश्र) 26/07/10
वित्त नियन्त्रक।

RKVY

निदेशालय के पत्रांक 1101 बजट (आयोजनागत)/आवंटन/2010–11 दिनांक 27-7-2010 का संलग्नक–अनुदान सं0–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–06–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन निम्नानुसार प्रदत्त किया जाता है–

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	मानक मद 27 सब्सिडी (आवंटित धनराशि लाख रू0 में)				योग
		Capsicum	Chilli	Tomato	Cucurbites	
1	जिला उद्यान अधिकारी, सहारनपुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
2	जिला उद्यान अधिकारी, मुजफ्फरनगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
3	जिला उद्यान अधिकारी, मुरादाबाद	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
4	जिला उद्यान अधिकारी, बिजनौर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
5	अधीक्षक राजकीय उद्यान, रामपुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
6	जिला उद्यान अधिकारी, जे0पी0 नगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
7	जिला उद्यान अधिकारी, मेरठ	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
8	जिला उद्यान अधिकारी, बागपत	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
9	जिला उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
10	जिला उद्यान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
11	जिला उद्यान अधिकारी, बुलन्दशहर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
12	जिला उद्यान अधिकारी, अलीगढ	5.590	8.250	11.400	8.500	33.740
13	जिला उद्यान अधिकारी, महामाया नगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
14	जिला उद्यान अधिकारी, एटा	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
15	जिला उद्यान अधिकारी, काशीराम नगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
16	जिला उद्यान अधिकारी, आगरा	6.450	6.375	11.400	11.000	35.225
17	जिला उद्यान अधिकारी, फिरोजाबाद	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
18	जिला उद्यान अधिकारी, मैनपुरी	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
19	जिला उद्यान अधिकारी, मथुरा	8.170	8.250	13.775	11.000	41.195
20	जिला उद्यान अधिकारी, बरेली	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
21	जिला उद्यान अधिकारी, बदायूँ	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
22	जिला उद्यान अधिकारी, पीलीभीत	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
23	जिला उद्यान अधिकारी, शाहजहाँपुर	6.020	8.250	11.400	11.000	36.670
24	जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
25	जिला उद्यान अधिकारी, लखीमपुर खीरी	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
26	जिला उद्यान अधिकारी, सीतापुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
27	जिला उद्यान अधिकारी, हरदोई	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
28	जिला उद्यान अधिकारी, उन्नाव	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
29	जिला उद्यान अधिकारी, रायबरेली	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
30	जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर नगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
31	जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर देहात	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
32	जिला उद्यान अधिकारी, इटावा	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
33	जिला उद्यान अधिकारी, औरेया	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
34	जिला उद्यान अधिकारी, कन्नौज	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
35	आलू एवं शाकभाजी विकास अधि0,फर्रुखाबाद	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
36	अधीक्षक राजकीय उद्यान, झाँसी	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
37	जिला उद्यान अधिकारी, जालौन	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
38	जिला उद्यान अधिकारी, ललितपुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
39	जिला उद्यान अधिकारी, चित्रकूट	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
40	जिला उद्यान अधिकारी, बांदा	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
41	जिला उद्यान अधिकारी, हमीरपुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
42	जिला उद्यान अधिकारी, महोबा	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
43	जिला उद्यान अधिकारी, इलाहाबाद	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
44	जिला उद्यान अधिकारी, कौशाम्बी	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
45	जिला उद्यान अधिकारी, फतेहपुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865

क्रमशः–2

26/07/10

46	जिला उद्यान अधिकारी, प्रतापगढ	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
47	अधीक्षक राजकीय उद्यान, फैजाबाद	6.020	6.375	11.400	11.000	34.795
48	जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
49	जिला उद्यान अधिकारी, अम्बेडकर नगर	6.020	6.375	13.775	11.000	37.170
50	जिला उद्यान अधिकारी, सुल्तानपुर	6.020	6.375	11.400	11.000	34.795
51	जिला उद्यान अधिकारी, गोण्डा	6.020	6.375	11.400	11.000	34.795
52	जिला उद्यान अधिकारी, बलरामपुर	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
53	जिला उद्यान अधिकारी, बहराइच	5.590	6.375	11.400	11.000	34.365
54	जिला उद्यान अधिकारी, श्रावस्ती	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
55	जिला उद्यान अधिकारी, बस्ती	6.020	6.375	11.400	11.000	34.795
56	जिला उद्यान अधिकारी, सिद्वार्थ नगर	8.170	8.250	11.400	11.000	38.820
57	जिला उद्यान अधिकारी, सन्त कबीर नगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
58	अधीक्षक राजकीय उद्यान, गोरखपुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
59	जिला उद्यान अधिकारी, महराजगंज	8.170	8.250	13.775	10.500	40.695
60	जिला उद्यान अधिकारी, कुशी नगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
61	जिला उद्यान अधिकारी, देवरिया	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
62	जिला उद्यान अधिकारी, आजमगढ	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
63	जिला उद्यान अधिकारी, मऊ	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
64	जिला उद्यान अधिकारी, बलिया	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
65	जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
66	जिला उद्यान अधिकारी, जौनपुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
67	जिला उद्यान अधिकारी, गाजीपुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
68	जिला उद्यान अधिकारी, चन्दौली	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
69	जिला उद्यान अधिकारी, मिर्जापुर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
70	जिला उद्यान अधिकारी, सोनभद्र	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
71	जिला उद्यान अधिकारी, सन्त रविदास नगर	5.590	6.375	11.400	8.500	31.865
	महायोग	408.070	462.000	816.525	653.000	2339.595

(रू0 तेईस करोड़ उन्नतालीस लाख उन्नसठ हजार पांच सौ मात्र)

(रंजन मिश्र) 26/07/10
वित्त नियंत्रक

संख्या–1646 / 58–2010–100 / 2009 टी0सी0

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद तिवारी ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2010

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए उद्यान विभाग की परियोजनाओं के लिए धनराशि रू0–660.40 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–48–50 / आर0के0वी0वाई0प्रशा0 स्वी0बजट / 2010–11 / दिनांक 10.6.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित उद्यान विभाग की परियोजना ''ओनियन प्रोडक्शन विद द इन्ट्रोक्सन आफ इम्प्रूव्ड वैराइटीज'' कार्यक्रम हेतु रू0–660.40 लाख (रूपये छः करोड़ साठ लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–950 / 12–3–10–100(46) / 2008 दिनांक 26.4.2010 में निहित शर्तो एवं अधोलिखित निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

नोडल अधि० दिया।
18.6.10

(1) उक्त धनराशि का उपयोग कृषि विभाग उ0प्र0 शासन, नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि भवन लखनऊ एवं भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्गत आदेशो / निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की संस्तुतियों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति जिस योजना हेतु की गयी है, उसी योजना में नियमानुसार व्यय की जायेगी, अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेंगी, जिसके लिए निदेशक / वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होगें।

2 / –

(4) धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कृषि विभाग/उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(चन्द्रिका प्रसाद तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या– 1646(1)/58–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
3– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग (कृषि अनुभाग–3), उत्तर प्रदेश शासन।
4– कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– मुख्य एवं वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रिका प्रसाद तिवारी)
विशेष सचिव।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0
2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक– 1067-1149/बजट/आयोजनागत/आर0के0वी0वाई0/2010–11 दिनांक 24 जून, 2010.

समस्त जिला उद्यान अधिकारी/
अधीक्षक, राजकीय उद्यान/
आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ0 प्र0।
(संलग्नक में उल्लिखित)

विषयः–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में धनराशि रू0–660.40 लाख के आवंटन विषयक।

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–950/12–3–10–100(46)/2008 दिनांक 26–4–2010 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत रू0–660.40 लाख की प्राप्त वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश सं0–1646/ 58–2010–100/2009 टी0सी0 दिनांक 18–6–10 द्वारा प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में अनुदान सं0–11 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–800–अन्य व्यय– 03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–06–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजना के मानक मद–27 सब्सिडी में रू0–660.40 लाख मात्र का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार प्रदत्त किया जा रहा है। कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय निम्नानुसार शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही साथ अपने व्यय को आवंटित धनराशि की सीमा तक नियन्त्रित भी रखें। उपरोक्तानुसार किया जा रहा बजट का आवंटन, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ सं0 54 पर अंकित है।

1– उक्त धनराशि का उपयोग कृषि विभाग, उ0 प्र0 शासन, नोडल अधिकारी आर0के0 वी0वाई0, कृषि भवन, लखनऊ एवं भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्गत आदेशों/निर्देशों के अर्न्तगत किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की संस्तुतियों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति जिस योजना हेतु की गई है, उसी योजना में नियमानुसार व्यय किया जायेगा, अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण संवितरण अधिकारी सीधे उत्तरदायी होगें।

4– स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष को प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

5– योजनान्तर्गत जारी दिशा निर्देश/गाइड लाईन के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रंजन मिश्र) 24/06/10
वित्त नियन्त्रक।

पृष्ठांकन सं0– 1067-1149 /उक्त दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के निजी सचिव को प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ।
3– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग (कृषि अनुभाग–2) उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4– विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
5– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– कृषि निदेशक, आर0के0वी0वाई0, कृषि भवन, लखनऊ।
✓ योजनाधिकारी, आर0के0वी0वाई0 उद्यान निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत (गाइड लाईन) दिशा–निर्देश जारी कर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार धनराशि का व्यय हो सके।
8– सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान, उ0 प्र0।

(रंजन मिश्र) 24/06/10
वित्त नियन्त्रक।

RKVY

निदेशालय के पत्रांक–1067–1149 बजट (आयोजनागत) / आवंटन / 2010–11 दिनांक 24 जून, 2010
जून, 2010 का संलग्नक–अनुदान सं0–11 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –06–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन निम्नानुसार प्रदत्त किया जाता है–

(लाख रु0 में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	मानक मद 27 सब्सिडी (आवंटित धनराशि)
1	2	3
1	जिला उद्यान अधिकारी, सहारनपुर	9.750
2	जिला उद्यान अधिकारी, मुजफ्फरनगर	9.750
3	जिला उद्यान अधिकारी, मुरादाबाद	9.750
4	जिला उद्यान अधिकारी, बिजनौर	9.750
5	अधीक्षक राजकीय उद्यान, रामपुर	9.750
6	जिला उद्यान अधिकारी, जे.पी.नगर	6.500
7	जिला उद्यान अधिकारी, मेरठ	9.750
8	जिला उद्यान अधिकारी, बागपत	9.750
9	जिला उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद	6.500
10	जिला उद्यान अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर	9.750
11	जिला उद्यान अधिकारी, बुलन्दशहर	9.750
12	जिला उद्यान अधिकारी, अलीगढ़	9.750
13	जिला उद्यान अधिकारी, महामाया नगर	6.500
14	जिला उद्यान अधिकारी, एटा	9.750
15	जिला उद्यान अधिकारी, काशीराम नगर	6.500
16	जिला उद्यान अधिकारी, आगरा	9.750
17	जिला उद्यान अधिकारी, फिरोजाबाद	9.750
18	जिला उद्यान अधिकारी, मैनपुरी	9.750
19	जिला उद्यान अधिकारी, मथुरा	10.400
20	जिला उद्यान अधिकारी, बरेली	9.750
21	जिला उद्यान अधिकारी, बदायूँ	9.750
22	जिला उद्यान अधिकारी, पीलीभीत	9.750
23	जिला उद्यान अधिकारी, शाहजहाँपुर	9.750
24	जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ	9.750
25	जिला उद्यान अधिकारी, लखीमपुर खीरी	9.750
26	जिला उद्यान अधिकारी, सीतापुर	9.750
27	जिला उद्यान अधिकारी, हरदोई	9.750
28	जिला उद्यान अधिकारी, उन्नाव	9.750
29	जिला उद्यान अधिकारी, रायबरेली	9.750
30	जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर नगर	9.750
31	जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर देहात	9.750
32	जिला उद्यान अधिकारी, इटावा	9.750

क्रमशः–2

alotment 660.40 onion

33	जिला उद्यान अधिकारी, औरैया	9.750
34	जिला उद्यान अधिकारी, कन्नौज	9.750
35	आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद	9.750
36	अधीक्षक राजकीय उद्यान, झाँसी	9.750
37	जिला उद्यान अधिकारी, जालौन	6.500
38	जिला उद्यान अधिकारी, ललितपुर	6.500
39	जिला उद्यान अधिकारी, चित्रकूट	6.500
40	जिला उद्यान अधिकारी, बाँदा	6.500
41	जिला उद्यान अधिकारी, हमीरपुर	6.500
42	जिला उद्यान अधिकारी, महोबा	6.500
43	जिला उद्यान अधिकारी, इलाहाबाद	9.750
44	जिला उद्यान अधिकारी, कौशाम्बी	9.750
45	जिला उद्यान अधिकारी, फतेहपुर	9.750
46	जिला उद्यान अधिकारी, प्रतापगढ़	9.750
47	अधीक्षक राजकीय उद्यान, फैजाबाद	9.750
48	जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी	9.750
49	जिला उद्यान अधिकारी, अम्बेडकर नगर	9.750
50	जिला उद्यान अधिकारी, सुल्तानपुर	9.750
51	जिला उद्यान अधिकारी, गोण्डा	9.750
52	जिला उद्यान अधिकारी, बलरामपुर	9.750
53	जिला उद्यान अधिकारी, बहराइच	9.750
54	जिला उद्यान अधिकारी, श्रावस्ती	9.750
55	जिला उद्यान अधिकारी, बस्ती	9.750
56	जिला उद्यान अधिकारी, सिद्धार्थ नगर	9.750
57	जिला उद्यान अधिकारी, सन्त कबीर नगर	9.750
58	अधीक्षक राजकीय उद्यान, गोरखपुर	9.750
59	जिला उद्यान अधिकारी, महराजगंज	9.750
60	जिला उद्यान अधिकारी, कुशी नगर	9.750
61	जिला उद्यान अधिकारी, देवरिया	9.750
62	जिला उद्यान अधिकारी, आजमगढ़	9.750
63	जिला उद्यान अधिकारी, मऊ	9.750
64	जिला उद्यान अधिकारी, बलिया	9.750
65	जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी	9.750
66	जिला उद्यान अधिकारी, जौनपुर	9.750
67	जिला उद्यान अधिकारी, गाजीपुर	9.750
68	जिला उद्यान अधिकारी, चन्दौली	9.750
69	जिला उद्यान अधिकारी, मिर्जापुर	9.750
70	जिला उद्यान अधिकारी, सोनभद्र	9.750
71	जिला उद्यान अधिकारी, सन्त रविदास नगर	9.750
	महायोग	660.400

(रु. छः लाख साठ हजार चार सौ मात्र)

(रजन मिश्र) 24/06/10
वित्त नियंत्रक